



MONAD UNIVERSITY

Established by UP State Govt. Act No. 23 of 2010 & U/S 2(f) of U.G.C. Act. 1956.
NH-24, Delhi Hapur Road, P.O. Pilkhuwa, Distt. Hapur - 245304 (U.P.)

Ref. No.: MU/Cir./08/2019

Dated: 20.08.2019

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फार्म भरने हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा का आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि, हाईस्कूल की अंकतालिका में अंकित नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि के अनुसार होना अनिवार्य है। साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर भी लिंक होना चाहिये तथा वह मोबाइल नम्बर वर्तमान समय में चालू होना चाहिये।

तदक्रम में यदि छात्र/छात्रा के आधार कार्ड का विवरण हाईस्कूल की अंकतालिका के अनुसार सही नहीं है तो ऐसे छात्र/छात्रा अपने आधार कार्ड की त्रुटि को ससमय सही कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई छात्र/छात्रा अपना आधार कार्ड का विवरण हाईस्कूल की अंकतालिका के विवरण के अनुसार नहीं कराते हैं तथा जिस कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार से नहीं आती है तो उस दशा में स्वयं छात्र/छात्रा जिम्मेदार होगा।

(कर्मल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति कार्यालय अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सभी संकाय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि वे अपने-अपने विभाग में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उपरोक्त जानकारी से अवगत करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्र/छात्रा अपना आधार कार्ड अपनी हाईस्कूल की अंकतालिका के अनुसार ससमय संशोधित करा लें।
3. छात्रवृत्ति विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सूचना पट (Block - A, B & C)

(कर्मल डी०पी० सिंह)





MONAD UNIVERSITY

Established by UP State Govt. Act No. 23 of 2010 & U/S 2(f) of U.G.C. Act. 1956.
NH-24, Delhi Hapur Road, P.O. Pilkhuwa, Distt. Hapur – 245304 (U.P.)

Ref. No.: MU/Cir./09/2019

Dated: 20.08.2019

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने गत वर्ष में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन फार्म भरा था वे सभी छात्र/छात्रा **शैक्षणिक सत्र 2019–20** की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये अपने आवेदन फार्म का नवीनीकरण **दिनांक 31 अगस्त, 2019** तक कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा।

(कर्नल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति कार्यालय अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।
2. सभी संकाय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु यह कार्यालय आदेश इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म का नवीनीकरण करा लिया जाये।
3. छात्रवृत्ति विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सूचना पट (Block – A, B & C)

(कर्नल डी०पी० सिंह)

कुलसचिव
Registrar
HAPUR (U.P.)